

मध्य प्रदेश शासन
नर्मदा घाटी विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक एफ 31-2/2018/सत्ताईस-एक
प्रति,

भोपाल, दिनांक 27 फरवरी, 2018

✓ उपाध्यक्ष,

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण,
नर्मदा भवन, भोपाल ।

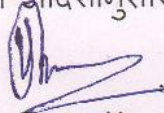
विषय:- रानी दुर्गावती उद्वहन माइक्रो सिंचाई योजना की प्रशासकीय स्वीकृति।

संदर्भ :- सचिव नर्मदा नियंत्रण मंडल का पत्र क्रमांक 27/60.06/27/न.नि.मं./18
दिनांक 26.02.2018

--00--

नर्मदा नियंत्रण मंडल की 60 वीं बैठक दिनांक 23.02.2018 में लिये गये निर्णय अनुसार राज्य शासन एतद् द्वारा रानी दुर्गावती उद्वहन माइक्रो सिंचाई योजना, जिला एवं तहसील जबलपुर की सिंचाई क्षमता 1200 हेक्टेयर हेतु यूएसआर 2017 पर राशि ₹ 24.16 करोड़ (₹ चौबीस करोड़ सौलह लाख मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(प्रतिभा ढोरे)

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

नर्मदा घाटी विकास विभाग

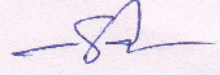
पृ0क्रमांक एफ 31-2/2018/सत्ताईस-एक

भोपाल, दिनांक 27 फरवरी, 2018

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव (समन्वय) मध्य प्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय भोपाल
3. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल ।
4. समस्त सदस्य, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल।
5. प्रमुख अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, भोपाल ।
6. महालेखाकार भोपाल/गवालियर मध्य प्रदेश ।
7. सचिव नर्मदा नियंत्रण मंडल/नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल ।
8. मुख्य अभियन्ता, अपर नर्मदा जोन जबलपुर ।

9. मुख्य सूचना अधिकारी, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल की ओर उक्त आदेश वेबसाइट पर दर्ज करने हेतु अग्रेषित ।
 10. निज सचिव, अध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भोपाल।
 11. आर्डर बुक ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।



उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

नर्मदा घाटी विकास विभाग